भारतीय जनता
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली-जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 165 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :–13.08.2024

1. मन्नाराम मीणा आयु 43 वर्ष आ. श्री देवीराम जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1. चेतराम आ. देवीराम जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली
2. नर्बदलाल आ. देवीराम जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली
3. फोरू आ. देवीराम जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली
4. रतनी पत्नी देवीराम जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली
5. रामलाल आ. देवीराम जाति मीणा निवासी गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली
6. मोहन माता मोत्या जाति मीणा निवासी नाथादण्ड तहसील जहाजपुर
7. पारा माता मोत्या जाति मीणा निवासी नाथादण्ड तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
8. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :– एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक :– 14 / 08 / 2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या नया 113 पुराना 110 की भूमि ख.सं. 262 रकबा 0.1295 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1295 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 114 पुराना 111 की भूमि ख.सं. 180 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, ख.सं. 186 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, ख.सं. 189 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, ख.सं. 195 रकबा 0.5018 हैक्टेयर, ख.सं. 196 रकबा 0. 4452 हैक्टेयर, ख.सं. 197 रकबा 0.4047 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.7725 हैक्टेयर वाके ग्राम गोरधनपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा जो प्रार्थी की सहखातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। खातेदार हेमा की नाओलाद मृत्यु हो गई है एवं मोत्या की भी मृत्यु हो गई है, जिसके वारिस मोहन व पारा है, जिसको अप्रार्थी 6 व 7 बनाया गया है। प्रार्थी को बाल्यकाल अवस्था मे घर पर प्रार्थी को गंगाराम व मन्नाराम मीणा के नाम से पुकारते थे, इस कारण प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के बाद हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के घर पर आये बिना व सही जानकारी किये राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 520 दिनांक 13.12.2010 खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का घरेलू नाम गंगाराम के नाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

का इन्द्राज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही नाम मन्नाराम मीणा है, इसलिए हल्का पटवारी द्वारा खोला गया इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड, पेनकार्ड, जॉबकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम मन्नाराम मीणा दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम गंगाराम दर्ज कर दिये जाने की वजह से प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम मन्नाराम मीणा है और पहचान के सभी दस्तावेजात मे भी मन्नाराम मीणा ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर गंगाराम के स्थान पर मन्नाराम मीणा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्दाज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 25.07.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपना नाम गंगाराम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर मन्नाराम मीणा दर्ज करवाये। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम गोरधनपुरा पटवार मण्डल गोरधनपुरा तहसील हिण्डोली जिला बुन्दी मे विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खाता संख्या नया 113 पुराना 110 की भूमि ख.सं. 262 रकबा 0.1295 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1295 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 114 पुराना 111 की भूमि ख.सं. 180 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, ख.सं. 186 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, ख.सं. 189 रकबा 0.1457 हैक्टेयर, ख.सं. 195 रकबा 0.5018 हैक्टेयर, ख.सं. 196 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, ख.सं. 197 रकबा 0.4047 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.7725 हैक्टेयर वाके ग्राम गोरधनपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रार्थी का नाम गंगाराम के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर मन्नाराम मीणा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड की जामबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 को पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश नहीं किए जाने से जवाब बंद किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व / 25 / 1671 दिनांक :–06.06.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम गोरधनपुरा के खाता संख्या 113 व 114 में प्रार्थी का नाम गंगाराम पुत्र देवीराम दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों / सहखातेदारान ने उक्त खाता नम्बरों में दर्ज गंगाराम पुत्र देवीराम व

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

मन्नाराम पुत्र देवीराम एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज गंगाराम पुत्र देवीराम के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम मन्नाराम पुत्र देवीराम दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम भोजाराम पुत्र नारायण है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जन– आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक खाता डायरी पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम मन्नाराम पुत्र देवीराम दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम गोरधनपुरा पटवार मण्डल गोकुलपुरा के खाता संख्या 113 व 114 में दर्ज सहखातेदार प्रार्थी गंगाराम पुत्र देवीराम के स्थान प्रार्थी का सही नाम मन्नाराम पुत्र देवीराम शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 14.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

14/08/2025

(शिवराज मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)